किरोड़ीमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, गढ़उमरिया-रायगढ़ (छ.ग.)

(शासन द्वारा प्रवर्तित इंजीनियरिंग महाविद्यालय)

दूरभाष 07762–233562 ई मेलः kit_raigarh@rediffmail.com

पुस्तकालय सदस्यता प्रपत्र

1. नाम :– ....
2. पिता/पति का नाम :– ....
3. पद नाम (संस्था के **अधिकारियों/कर्मचारियों** के लिए) :– ....
4. ब्रांच/ सेमेस्टर (विद्यार्थियों के लिए) :– ब्रांच.................................. सेमेस्टर ....
5. नियुक्ति दिनांक (संस्था के **अधिकारियों/कर्मचारियों** के लिए :– ....
6. नियुक्ति का प्रकार संस्था के **अधिकारियों/कर्मचारियों** के लिए :– नियमित/संविदा/अंषकालीन/कलेक्टर दर
7. अवधान राषि (अंषकालीन षिक्षकों के लिए) :– डी.डी.क.......................... दिनांक...................... रु..............
8. वर्तमान पता (संस्था के **अधिकारियों/कर्मचारियों/ विद्यार्थियों** के लिए) :– ....
9. स्थाई पता (संस्था के **अधिकारियों/कर्मचारियों/ विद्यार्थियों** के लिए) :– ....
10. फोन नं./मोबाईल नं./ (संस्था के **अधिकारियों/कर्मचारियों/ विद्यार्थियों** के लिए) :– ....
11. ईमेल./(संस्था के **अधिकारियों/कर्मचारियों/ विद्यार्थियों** के लिए) :– ....

नियमावली

1. सभी अधिकारियों/कर्मचारियों/विद्यार्थियों को ग्रंथालय सदस्यता फार्म भरना अनिवार्य है।
2. ग्रंथालय का समय प्रातः 11.00 बजे से सायं 04.00 बजे तक होगा।
3. पुस्तकें विशयानुसार ही ग्रंथालय से ईषू होगी।
4. महाविद्यालय छोड़ने से पूर्व ग्रंथालय से निर्धारित प्रपत्र में अदेय प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है।
5. समस्त व्याख्याताओं को 04 पुस्तकें ईषू होंगी, जिन्हें अनिवार्य रूप से प्रत्येक वर्श में 31 मई तक ग्रंथालय में जमा करना होगा। अंषकालीन व्याख्याताओं को 1000/– कॉषनमनी जमा करने के पष्चात 02 पुस्तकें ईषू होगी, जिन्हें सेमेस्टर समाप्ति पर अनिवार्य रूप से ग्रंथालय में जमा करना होगा। पुस्तकालय से अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही अंतिम वेतन आहरित किया जावेगा।
6. अन्य समस्त कर्मचारियों को 02 पुस्तकें ईषू होगी, जिन्हें अनिवार्य रूप से 31 मई तक ग्रंथालय में जमा करना होगा।
7. सभी सामान्य और ओ.बी.सी./एस.सी./एस.टी. विद्यार्थियों को 02 पुस्तकें 15 दिन के लिए ईषू होगी।
8. व्याख्याताओं/कर्मचारियों/विद्यार्थियों द्वारा समय पर पुस्तकें वापिस न करने पर एक रूपये प्रतिदिन के दर से फाईन का भुगतान करना होगा। फाईन माफ करने का अधिकार निदेषक के पास सुरक्षित होगा।
9. व्याख्याता/कर्मचारी/विद्यार्थी द्वारा पुस्तक के गुम होने पर पुस्तक की वास्तविक कीमत, फाईन एवं /या पुस्तक के वास्तविक मूल्य का 50 प्रतिषत अतिरिक्त भुगतान करना होगा।
10. यदि किसी विद्यार्थी द्वारा पुस्तकालय को कोई पुस्तक (इंजीनियरिंग विशय की) दान दी जाती है, तो उसे पुस्तकालय से लगभग समान मूल्य की कोई भी एक पुस्तक एक सेमेस्टर के लिए ईषू होगा।
11. प्रत्येक ब्रांच के **ज्वचचमत** को पुस्तकालय से **पांच** पुस्तक एक सेमेस्टर के लिए ईषू होगी। ब्रांच **ज्वचचमत** का निर्धारण प्रारंभ में ही जारी परीक्षा परिणाम के आधार पर किया जावेगा, जिससे विद्यार्थियों को समय पर पुस्तकें प्राप्त हो सकें।
12. पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना के पष्चात परीक्षा परिणाम परिवर्तित होने पर क्र. 11 में विहित निर्देष प्रभावित नहीं होंगे।
13. सभी विद्यार्थियों/अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा सदस्यता प्रपत्र में दी गई जानकारी के आधार पर उन्हें आवष्यकतानुसार संसूचित किया जावेगा। जानकारी में परिवर्तन होने पर उसे संषोधित कराने की जवाबदारी संबंधित विद्यार्थियों/अधिकारियों/कर्मचारियों की होगी। इस हेतु संस्था उत्तरदायी नहीं होगी।

घोषणा

मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी सत्य है तथा मैंने स्वयं ग्रंथालय से प्राप्त की जाने वाली पुस्तकों से संबंधित महाविद्यालय द्वारा प्रकाषित उक्त नियमावली का पूर्ण रूप से अवलोकन कर लिया है एवं नियमावली के समस्त नियमों का पूर्णतः पालन करूंगा/करूंगी।

हस्ताक्षर :– ....

ब्रांच :–......................

दिनांक :– ....

ग्रंथालय लिपिक
के.आई.टी.
रायगढ़ (छ0ग0)

निदेशक
के.आई.टी. रायगढ़ (छ.ग.)